111

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक : एफ.11(150)/आर.एण्ड.पी./सा.न्या. एवं अ.वि./07/39035 जयपुर, दिनांक : 16-7-07

अधिसूचना

राजस्थान राज्य में पिछड़े वर्गों (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त) की सूची में विभिन्न वर्गों को सम्मिलित करने/हटाने हेतु राज्य सरकार को सुझाव देने के लिए राज्य सरकार एतद् द्वारा राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करती है।

इस आयोग के विचारणीय बिन्दु (Terms of reference) अलग से जारी किये जायेंगे।

आज्ञा से

(डॉ. श्रीमती मालविका पवार)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक : एफ.11(150)/आर.एण्ड.पी./सा.न्या. एवं अ.वि./07/39036-154 जयपुर, दिनांक 16-7-07

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. समस्त मंत्री/राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
7. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर/भरतपुर
8. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
9. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
10. आयुक्त, निःशक्तजन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
12. समस्त विभागाध्यक्ष।
13. समस्त जिला कलक्टर।
14. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
15. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
16. मुख्य लेखाधिकारी, मुख्यालय/परियोजना निदेशक, एससीएसपी, मुख्यालय
17. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
18. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के समस्त अधिकारीगण
19. गार्ड फाईल।

प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक : एफ.11(150)/आर.एफ.डी./सा.न्याय एवं अ.वि./07/ 42454 जयपुर दिनांक 2/8/07

(114)

अधिसूचना

राजस्थान राज्य में पिछड़े वर्गों (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त) की सूची में विभिन्न वर्गों को सम्मिलित करने/हटाने हेतु राज्य सरकार को सुझाव देने के लिए समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 39035 दिनांक 16.07.07 द्वारा राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है।

इस आयोग की सदस्यता और कार्य एवं शक्तियां निम्न प्रकार होंगे :

सदस्यता :-

1. इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव व तीन अन्य सदस्य होंगे।
2. अध्यक्ष व सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। सदस्य सचिव राज्य सरकार के कम से कम उप सचिव स्तर के कार्यरत/निवर्तमान अधिकारी होंगे।
3. अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा परन्तु कोई भी अध्यक्ष या सदस्य समयावधि से पूर्व अपना त्याग पत्र राज्य सरकार को देकर आयोग की सदस्यता त्याग सकता है।
4. राज्य सरकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को निम्न परिस्थितियों में पदमुक्त कर सकेगी :-

(1) कानूनी रूप से दिवालिया घोषित होने पर,
(2) किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक आचरण का दोषी पाये जाने पर,
(3) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पागल करार दिये जाने पर,
(4) कार्य करने से मना करने अथवा कार्य करने के अयोग्य होने पर,
(5) आयोग को बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी निरन्तर तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर,
(6) राज्य सरकार की राय में अपने पद का दुरुपयोग करने के फलस्वरूप पिछड़े वर्गों अथवा जनहित में पद पर बने रहने के अनुपयुक्त होने पर। परन्तु किसी की सदस्यता बिना उसे सुनवाई का मौका दिए समाप्त नहीं की जा सकेगी।
(7) आयोग के सदस्यों में से कोई भी पद रिक्त होने पर रिक्त पद राज्य सरकार द्वारा नवीन मनोनयन कर तीन वर्ष के लिये भरा जा सकेगा।

...व शक्तियां :–

1. यह आयोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर पिछड़े वर्गों की सूची में नागरिकों के किसी वर्ग को सम्मिलित करने सम्बन्धी प्रार्थनाएं तथा उक्त सूची में कम समावेश व अधिक समावेश सम्बन्धी प्राप्त शिकायतों का परीक्षण कर राज्य सरकार को ऐसे सुझाव देगा जो वह उचित समझे।

2. आयोग द्वारा इस हेतु दिये सुझाव व सिफारिशें राज्य सरकार को सामान्यतः मान्य होगी।

3. आयोग के सदस्यों के वेतन/भत्ते आदि राज्य सरकार द्वारा अलग से निर्धारित किये जायेंगे जिनका भुगतान आयोग को दिये गये वार्षिक अनुदान से किया जायेगा।

4. आयोग अपनी कार्य प्रणाली स्वयं निर्धारित करेगा।

5. आयोग प्रति वर्ष राज्य सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा जिसमें उसके वर्ष भर के कार्यों का लेखा–जोखा व समीक्षा होगी।

यह आदेश तुरन्त प्रभावशील होंगे।

आज्ञा से,

(एस.सी. देराश्री) 02.8.2007
आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांक : एफ.11(150)/आर.एण्ड.पी./सान्याय एवं अधि./07/42455–2624 जयपुर, दिनांक 2/8/07

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. समस्त मंत्री/ राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
7. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर/अजमेर/ कोटा/ बीकानेर/ जोधपुर/ उदयपुर/ भरतपुर
8. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
9. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
10. आयुक्त, निःशक्तजन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
12. समस्त विभागाध्यक्ष।
13. समस्त जिला कलक्टर।
14. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
15. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
16. मुख्य लेखाधिकारी, मुख्यावास/परियोजना निदेशक, एससीएसपी, मुख्यावास
17. समस्त उप निदेशक/ सहायक निदेशक/ जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
18. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के समस्त अधिकारीगण ....
19. गार्ड फाईल।

आयुक्त एवं शासन सचिव
02.8.2007

C:\...\Rajay.doc

71

13

15

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पीछे, जयपुर

क्रमांक एफ.11(150)आरएण्डपी/आरआरबीसी/2015/46868 जयपुर दिनांक 05.08.2015

आदेश

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ11(150)आरएण्डपी/सान्याअवि/2007/39035 जयपुर, दिनांक 16.07.07 एवं 42454 दिनांक 02.08.07 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में निम्नांकित को अध्यक्ष, सदस्य सचिव एवं सदस्य मनोनीत किया जाता है:–

क्र0स0	नाम	पद
1.	श्री जितेन्द्र राय गोयल (न्यायमूर्ति से0नि0)	अध्यक्ष
2.	श्री हरिकुमार गोदारा (राजस्थान उच्च न्यायिकसेवा से0नि0)	सदस्य सचिव
3.	श्री सीताराम शर्मा	सदस्य
4.	डा0 अर्जुन सिंह भाटी	सदस्य

इनका कार्यकाल कार्यग्रहण करने की दिनांक से तीन वर्षो का होगा। तथा इनके वेतन भत्ते आदि का निर्धारण अलग से किया जावेगा।

आज्ञा से,

(अम्बरीष कुमार)
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक एफ.11(150)आरएण्डपी/आरआरबीसी/2015 46869-47020 जयपुर दिनांक 05.08.2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. प्रमुख सचिव, महामाहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान जयपुर।
3. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त मंत्री/राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. माननीय न्यायमूर्ति (से0नि0) जितेन्द्र राय गोयल अध्यक्ष, राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जयपुर

6. श्री हरिकुमार गोदारा, सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जयपुर
7. श्री सीताराम शर्मा सदस्य, राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जयपुर।
8. श्री अर्जुन सिंह भाटी सदस्य, राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जयपुर।
9. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
10. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
11. सयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
12. संभागीय आयुक्त, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर/भरतपुर।
13. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर
14. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायलय, जोधपुर/जयपुर।
15. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
16. समस्त विभागाध्यक्ष।
17. समस्त जिला कलक्टर।
18. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
19. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
20. समस्त अधिकारी, मुख्यावास।
21. समस्त जिलाधिकारी समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान।
22. गार्ड फाईल।

5.8.15

सयुक्त शासन सचिव

Government of Rajasthan

Rajasthan State Backward Classes Commission

Sr. No	Name	Designation	Fathers Name	Age	Education	Other Particular	Home Address	Office Address	Mobile No.	Tel.No
1	Justice J.R.Goyal	Chairman (Since 06.08.15)	Lt.Sh.Shree Das Goyal	68	B.A., L.L.B	Judge, Rajasthan High Court (2005-2010),Chairman in Rajasthan Tax Settlement Board(2011-2014)	T-1/10, Paliwal Park,Near Sanghi Farm, Mahaveer Nagar, Tonk Road, Jaipur	Pashudhan Bhawan , 3rd Floor, Lal Kothi , Tonk Road, Jaipur-302015	9829071671	1412741546
2	Hari Kumar Godara	Member Secretary (Since 06.08.15)	Lt.Sh. Het Ram Godara	61	B.Sc, L.L.B.	Served as Judicial officer in various capacities from 1980 to 2015 and Retired as District & Session Judge.	20/74, Kaveri Path, Mansarovar, Jaipur		9414088801	1412741390
3	Sitaram Sharma	Member (Since 06.08.15)	SHRI JAGDISH PRASAD SHARMA	36	M.A. (Political Science)	Social Worker	VPO – Tapiplya, Tehsil-Shrimadhopur, Dist.- Sikar (RAJ.)		9413088635	
4	Dr.Arjun Singh Bhati	Member (Since 06.08.15)	Lt.Sh. K.S.Bhati	66	MBBS, MS, MPH	Worked as Medical officer from 1979 and retired as Joint Director Medical in 2010 Since then worked in the field of social upliftment and Public Health.	3/13, Parvati Nagar, Circuit House Road, Jodhpur		9413319631	9610476061

Member Secretary

72